भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 269

18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

जल निकासी प्रणाली में सुधार

∗**269. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नल से जल योजना के अंतर्गत शहरों और कस्बों में पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता के बावजूद अधिकांश क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था की कमी के कारण जलभराव, गंदगी और दुर्घटनाओं जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन-कौन से विभाग/एजेंसियां जिम्मेदार हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और नगर निगम क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों की कोई संपरीक्षा, सर्वेक्षण या कोई स्थिति रिपोर्ट तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जल निकासी प्रणालियों में सुधार, पाइपलाइनों के रखरखाव और रिसाव और नालियों से बाहर प्रवाह को रोकने के लिए किसी व्यापक कार्य-योजना, अतिरिक्त बजट आबंटन या विशेष निगरानी तंत्र को कार्यान्वित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या रखरखाव की कमी और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जनता को गंभीर असुविधा हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ)**:** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"जल निकासी प्रणाली में सुधार" से संबंधित दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *269 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): जल और स्वच्छता राज्य के विषय हैं तथा शहर/नगर स्तर पर जल निकासी का प्रबंधन और सीवरेज प्रणाली राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों(यूडीए) के कार्यक्षेत्र में आता है जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के रख-रखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसके अलावा, संविधान की 12 वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/ शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। राज्य सरकारों के तहत यूएलबी/यूडीए स्थानीय जरूरतों के अनुसार सर्वेक्षण करते हैं और जलनिकासी योजना तैयार करते हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है ताकि जल और सीवरेज प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को वर्ष 2015 में चयनित 500 शहरों में शुरू किया गया था। अमृत मिशन के तहत, तूफानी वर्षा जल निकासी एक स्वीकार्य घटक था जिसमें बाढ़ की समस्या को कम करने और समाप्त करने के लिए नालियों/तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणालियों का निर्माण करना और उनकी मरम्मत करना शामिल था। मिशन के दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है।

अमृत के तहत, 3016.82 करोड़ रु. के 838 वर्षा जल निकासी प्रणाली परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अमृत पोर्टल दी गई जानकारी के अनुसार, 2,403.35 करोड़ रु. की 813 तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणाली परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 1,468 किमी का तूफानी वर्षा जल निकासी नेटवर्क बिछाया गया है। अमृत के तहत, 890 सीवरेज/सेप्टेज प्रबन्धन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे 21,754 किमी लंबा सीवर नेटवर्क बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में, अमृत के तहत 2917.92 किमी का सीवर नेटवर्क कवर करते हुए 7,353.01 करोड़ रु. की 179 सीवरेज/सेप्टेज प्रबन्धन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य ने अमृत के तहत और कन्वर्जेंस में 408 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवरेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) क्षमता का विकास और सीवरेज/सेप्टेज प्रबन्धन परियोजनाओं के तहत 23,59,034 परिवारों (नए/मरम्मत किए गए) को शामिल करने की जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश राज्य ने अमृत के तहत कोई भी तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणाली परियोजना शुरू नहीं की है।

इसके अलावा, अमृत 2.0 को 01 अक्टूबर 2021 को सभी यूएलबी/शहरों में शुरू किया गया, जिसमें पहाड़ी कस्बे/शहर भी शामिल हैं, ताकि शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाया जा सकें। अमृत 2.0 के तहत, जलाशयों और कुओं के पुनरुद्धार से संबंधित परियोजनाएं राज्यों द्वारा शुरू की जा सकती हैं। इसके तहत तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणाली के माध्यम से वर्षा जल संचयन (जिसमें सीवेज/गंदगी नहीं मिल रही हो) स्वीकार्य घटकों में से एक है। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 6,270.51 करोड़ रु. की 3,031 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदन दे दिया गया है। इसके अलावा, 35,801 किमी सीवर नेटवर्क को शामिल करने वाली 588 सीवरेज और सेप्टेज प्रबन्धन परियोजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में अमृत 2.0 के तहत, 815.44 एकड़ कवर करने वाली 385.64 करोड़ रु. की 194 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। सीवरेज/सेप्टेज प्रबन्धन क्षेत्र के तहत, 201 एमएलडी एसटीपी क्षमता का विकास और 2003.61 किमी को कवर करते हुए 5,054.93 करोड़ रु. की 26 परियोजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है। लक्षित 9,22,813 घरेलू सीवर कनेक्शन (नए/मरम्मत वाले) में से 4,70,843 कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

मंत्रालय ने मार्च 2024 में जलापूर्ति और शोधन प्रणाली (नल से जल) पर मैनुअल (https://mohua.gov.in/publication/manual-on-water-supply-and-treatment-systems---drink-from-tap---march-2024.php) प्रकाशित किया है, ताकि राज्य/शहरी स्थानीय निकाय जलापूर्ति परियोजनाओं की डिज़ाइनिंग और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए इसका प्रयोग कर सकें। इस मैनुअल में जलापूर्ति के लिए डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया (डीएमए) दृष्टिकोण का प्रावधान है ताकि पानी के इस्तेमाल और नुकसान को सही तरीके से ट्रैक किया जा सके, जिससे रिसाव का पता लगाने और इसका प्रबंधन करने, दक्षता सुधारने और लक्षित दबाव प्रबंधन को कार्यान्वित करने में सहायता मिलती है।

मंत्रालय ने शहरी बाढ़ पर मानक संचालन प्रक्रिया, 2017 भी निकाली है और तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणालियां, 2019 पर मैनुअल प्रकाशित किया है ताकि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और यूएलबी और अन्य हितधारकों को तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणालियों की आयोजना, डिजाइन, संचालन और रखरखाव में सहायता मिल सके।

इसके अलावा, प्रबंधन प्रणाली और डिजिटल निगरानी को मज़बूत करने के लिए, अमृत स्मार्ट एलिमेंट्स/सुपरवाइज़री कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (स्कॉडा) आधारित संचालन को अपनाने को बढ़ावा देता है। अमृत के तहत 258 जलापूर्ति योजनाओं में स्कॉडा प्रणाली है और अमृत 2.0 के तहत 1,415 जल आपूर्ति परियोजनाओं में स्कॉडा प्रणाली का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य द्वारा वर्ष 2024-25 में शहरी बाढ़/जलभराव की समस्या के समाधान हेतु तूफानी वर्षा जल निकासी योजना शुरू की गई है। इस योजना में शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक एकीकृत शहरी वर्षा जल निकासी मास्टर प्लान तैयार करने और मास्टर प्लान के आधार पर प्राथमिक/द्वितीयक नालों (कम से कम एक मीटर की चौड़ाई वाले) के निर्माण का प्रावधान है। इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रु. के बजट का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में, राज्य के 16 नगर निगमों के लिए एकीकृत शहरी तूफानी वर्षा जल निकासी मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निधियाँ जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्त, गोरखपुर नगर निगम ने पहले से ही अपनी निधियों से जल निकासी मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में, उक्त योजना के तहत 1,728.75 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली पूर्व चिह्नित 21 जल निकासी परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। राज्य ने यह भी बताया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य क्षेत्र की सीवरेज और जल निकासी योजना के तहत नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए 810.69 करोड़ रुपये की कुल 337 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

*****